भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1335

सोमवार, 6 दिसम्बर, 2021/15 अग्रहायण, 1943(शक)

उद्योगों का बंद होना

1335. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

श्रीमती भावना गवली (पाटील):

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को कोविड-19 महामारी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान कितने उद्योग बंद हुए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास उक्त अवधि के दौरान लोगों के बेरोजगार होने के संबंध में कोई प्राक्कलन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उद्योगों को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ग): श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो को अखिल भारतीय तिमाही प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (एक्यूईईएस) के एक घटक के रूप में तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) कराने का कार्य सौंपा गया है। पहली तिमाही (अप्रैल-मई-जून, 2021) के दौरान कराया गया तिमाही रोजगार सर्वेक्षण भी चयनित 9 क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की परिचालन स्थिति और रोजगार की स्थिति पर कोविड -19 महामारी के प्रभाव की जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या पर प्रभाव का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) और (ङ): उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए उपाय निम्नानुसार हैं: -

(i) आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के भाग के रूप में 2020 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उधारकर्ताओं द्वारा ईसीएलजीएस फंडिंग की

वापस अदायगी न करने के कारण उन्हें हुई हानि के लिए 100 प्रतिशत गारंटी प्रदान करके कोविड-19 संकट के कारण संकटग्रस्त एमएसएमई/छोटे व्यवसायों की मदद करना था। 3 लाख करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ गारंटी अनुमोदित की गई।

(ii) इसके प्रारम्भ से, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर कोविड के प्रभाव और उभरती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ईसीएलजीएस में विस्तार और परिवर्तन हुए हैं। ये सभी परिवर्तन 3 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के गारंटी कवर के अंदर किए गए थे। ईसीजीएलएस का डिजाइन उभरती आवश्यकताओं पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए लचीलापन प्रदान करता है, जैसा कि ईसीएलजीएस 2.0, 3.0 और 4.0 की शुरूआत के साथ-साथ समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों से स्पष्ट हुआ है, जो सभी 3 लाख करोड़ रुपये की उपलब्ध सीमा के अंदर थे। योजना में घोषित परिवर्तनों और व्यवसायों पर कोविड के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा समग्र गारंटी सीमा को 3 लाख करोड़ रु. से बढ़ाकर 5.50 लाख करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

(iii) इसके अलावा, कोविड 19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित व्यवसायों की सहायता की दृष्टि से, योजना में संशोधन किए गए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 के तहत मौजूदा उधारकर्ताओं को ऐसे अतिरिक्त ऋण पर मूलधन पुनर्भुगतान के लिए 2 वर्ष की मोरेटोरियम अवधि के साथ 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, कुल बकाया ऋण, जो भी अधिक हो, के 10% तक की अतिरिक्त ऋण सहायता; 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, उन व्यवसायों को उनके बकाया क्रेडिट के 30% तक की क्रेडिट सहायता, जिन्होंने ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0 या 2.0) के तहत मूल पुनर्भुगतान के लिए 2 साल की मोरेटोरियम अवधि के साथ सहायता प्राप्त नहीं की है; ईसीएलजीएस 3.0 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों में व्यवसायों के लिए जिन्होंने पहले ईसीएलजीएस का लाभ नहीं उठाया है और मौजूदा ईसीएलजीएस उधारकर्ताओं द्वारा इन सीमाओं के भीतर वृद्धिशील ऋण का लाभ उठाया जा सकता है जिनकी पात्रता कट-ऑफ तिथि 29.02.2020 से परिवर्तित होकर 31.03.2021 होने के कारण बढ़ी है, अधिकतम 200 करोड़ रुपये प्रति उधारकर्ता के अध्यधीन, 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार उनके बकाया ऋण के 40% तक की ऋण सहायता शामिल हैं। ईसीएलजीएस-1.0 के लिए मोरेटोरियम को छोड़कर चुकौती अवधि 3 वर्ष है और ईसीएलजीएस-2.0 और 3.0 के लिए चुकौती अवधि 4 वर्ष है।

(iv) इसके अतिरिक्त, आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज 3.0 के भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का शुभारम्भ 01 अक्तूबर, 2020 को किया गया था ताकि सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके और कोविड -19 महामारी के दौरान हुई रोजगार की क्षति की बहाली की जा सके। इस योजना को नियोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने तथा अधिक कामगारों को नियोजित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि को 30.06.2021 से बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया गया है। दिनांक 20.11.2021 की स्थिति के अनुसार, 1.15 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 39.43 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार उपलब्ध कराई गई सहायता ने लॉकडाउन के बाद व्यवसायों को संचालन फिर से शुरू करने में मदद की है और देश में आर्थिक पुनरुत्थान में योगदान दिया है।

* ****

अनुबंध

दिनांक 06.12.2021 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1335 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

लॉकडाउन अवधि (25 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020) के दौरान परिचालन स्थिति और कर्मचारियों की संख्या पर प्रभाव के अनुसार अनुमानित प्रतिष्ठानों का क्षेत्र-वार प्रतिशत वितरण

क्र. सं.	क्षेत्र	लॉकडाउन के दौरान संचालित इकाईयां (%)	कर्मचारियों की संख्या (लाख में)			
			लॉकडाउन से पहले (25 मार्च, 2020 से पहले)		1 जुलाई, 2020 की स्थिति के अनुसार	
			पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1	विनिर्माण	30.4	98.7	26.7	87.9	23.3
2	निर्माण	31.3	5.8	1.8	5.1	1.5
3	व्यापार	28.5	16.1	4.5	14.8	4
4	परिवहन	44	11.3	1.9	11.1	1.9
5	शिक्षा	23.5	38.2	29.5	36.8	28.1
6	स्वास्थ्य	88.9	15	10.6	14.8	10.1
7	आवास और रेस्तरां	28	7	1.9	6.2	1.7
8	आईटी / बीपीओ	35.2	13.6	6.3	12.8	6.1
9	वित्तीय सेवाएं	71.6	11.5	5.9	11.3	5.7
कुल		**34.2**	**217.8**	**90**	**201.5**	**83.3**

टिप्पणी:

1. 'कुल' पंक्ति में प्रतिशत में 66 प्रतिष्ठान भी शामिल हैं जो सर्वेक्षण के दौरान 09 चयनित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित पाए गए थे।

****